

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
आदेश

आ0सं0-01/स्था0 (का0पदा0)-33/2019 3060 /न0वि0 एवं आ0वि0, पटना, दिनांक- 17/03/26

श्री जुल्फेकार अली प्यामी, बि0न0से0, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, ताजपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम-227 के आलोक में दिनांक-05.03.2026 से 30.04.2026 तक कुल 57 दिनों का उपाजित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।


2. श्री प्यामी के अवकाश अवधि में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुसरीघरारी अपने कार्यों के अतिरिक्त नगर परिषद, ताजपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(राजीव रंजन तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था0 (का0पदा0)-33/2019 3060 /न0वि0 एवं आ0वि0, पटना, दिनांक- 17/03/26

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/ श्री जुल्फेकार अली प्यामी, बि0न0से0, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, ताजपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुसरीघरारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।